पूर्व वायुयान में एक ए०के०-47 राइफल मिली थी और क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं तथा वह राईफल किसकी थी और क्या किसी अधिकारी को इस लापरवाही के लिए दोषी पाया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) 14 अक्तूबर, 91 को जयपुर (सांगानेर) हवाई अड्डे पर आई ए सी फ्लाईट सं० आई०सी०-494 से उतारे गये पंजीकृत सामान में से एक सूटकेस बिना टैग के पाया गया। इस सामान का कोई भी दावेदार नहीं था । सूटकेस की एक्स-रे परीक्षा से पता चला कि इसमें 1 बन्दूक, 2 मैगजीन और कुछ व्यक्तिगत वस्तुएं रखी हुई हैं इसलिए स्थानीय हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उसे अपने कब्जे में ले लिया गया ।

उक्त फ्लाईट पर जोधपुर से दिल्ली यात्रा कर रहे एक मुसाफिर, श्री एस० सिंह ने शिकायत की कि उन्हें अपना सूटकेस नहीं मिला है । उन्होंने घोषित किया कि सूटकेस में ए०के०-47 राइफल, 2 मैगजीन और कुछ व्यक्तिगत वस्तुएं थीं । पालम हवाई अड्डे पर श्री सिंह के सामान के इधर-उधर हो जाने की रिपोर्ट जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि एक मध्यम आकार का भूरे रंग का सूटकेस जिसका टैग नं० 4173201 है बीच ही में उतर गया है । दिल्ली में मिस-हैंडल्ड बैगेज यूनिट ने इस सामान के बारे में 14 अक्तूबर, 91 को जोधपुर और जयपुर के रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों के लिए संदेश प्रेषित किये । जयपुर इंडियन एयरलाइन्स ने दिल्ली को यह बताते हुए जवाब दिया कि इसी विवरण का एक सूटकेस, जो बिना टैग के था, जयपुर में छोड़ा हुआ पाया गया । इंडियन एयरलाइन्स दिल्ली से यह पुष्टि मिलने पर कि इस सामान का कोई दावेदार है जिसने सामान का ब्यौरा स्पष्ट रूप से बताया है, जयपुर हवाई अड्डे के स्टेशन-प्रबंधक ने हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारियों को सामान वापिस लौटाने का अनुरोध किया। हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारियों ने इस सामान को 15 अक्तूबर, 91 को इंडियन एयरलाइन्स जयपुर को दे दिया जिन्होंने उसके बाद इसे 15 अक्तूबर, 91 को आई सी-494 द्वारा दिल्ली भेज दिया । यह सामान 16 अक्तूबर, 91 को श्री एस० सिंह को दे दिया गया ।

Absorption of employees engaged in census

2905. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to absorb the employees presently engaged in census work; and

(b) if so, what are the details thereof and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) No, Sir.

(b) A large number of persons have been engaged on consolidated salary on contract basis for a short period of about 2 years for doing temporary work of compilation and tabulation of Census data. After the work is over, there will be no work to be given to these persons in the Census organisation. Hence, it is not possible to absorb such large number of persons on permanent basis without any work.

Crimes in Delhi

2906. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of dacoities, murders and kidnapping/abductions in the capital during the year 1989, 1990 and the current year till date separately; and

(b) the number of cases which have been during the year 1991 and the number of cases in which conviction has been secured from courts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) The number of dacoities, murders and kidnapping/abductions in the capital during the year 1989, 1990 and the current year upto 30-11-91 is as under:—

Head	Period	Number of cases reported
Dacoity	1989	15
	1990	19
	1991 (upto 30-11-91)	30
Murder	1989	351
	1990	390
	1991 (upo 30-11-91)	466
Kidnapping/abduction	1989	853
	1990	879
	1191 (upto 30-11-91)	795

(b) The detailed of the cases which have been solved and have ended in conviction during the year 1991 is as under:—

Head	Solved	Convicted
Dacoity	24	..
Murder	330	..
Kidnapping/abduction	279	

दिल्ली में देवली में अम्बेडकर विद्यापीठ के लिए भूमि

2907. **श्री हेच० हनुमनतप्पा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने ग्राम देवली में चलाए जा रहे अम्बेडकर विद्यापीठ की भूमि की निशानदेही की थी और उसके चारों ओर बाड़ा लगाया था ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ असामाजिक तत्व अधिक्रमण करने के लिए बाड़ तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. जैकब) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।